

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498] नई दिल्ली, बुधवार नवम्बर 9, 1983/कार्तिक 18, 1905
No. 498] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV 9, 1983/KARTIKA 18, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्देश्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आयुक्त

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1983

का आ. 800(अ).—केंद्रीय सरकार, ट्रांसफार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड
(उपक्रमों का अर्जन और उन्नयन) अध्यादेश, 1983 (1983 का 11) की धारा 6 की
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देती है कि ट्रांस-
फार्मर एण्ड स्विचगियर लिमिटेड, गद्दास के उपक्रम तथा उक्त कंपनी के उपक्रमों
उपक्रमों के संबंध में अधिकार, हक और हित जो उक्त अध्यादेश की धारा 3 के अधीन

केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित होने रहने के बजाय, 8 नवम्बर, 1983 से ही एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता में निहित हो जाएंगे।

[फा. सं. 5/44/80-एल. आर.]

ए. पी. सरयन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1983

S.O. 800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Transformer and Switchgear Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1983, (11 of 1983), the Central Government hereby directs that the undertakings of the Transformer and Switchgear Limited, Madras, and the right, title and interest of the said Company in relation to its undertakings, which have vested in the Central Government under section 3 of the said Ordinance, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest in Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, on and from the 8th day of November, 1983.

[F. No. 5/44/80-L.R.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.